जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक–26.11.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक–26.11.2021 को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री अवनीश प्रताप सिंह, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी) – सदस्य
2. श्रीमति प्रिया कुमारी , ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी) – सदस्य
3. श्रीमति आरती भारती , ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी) – सदस्य
4. श्री अनिल कुमार , ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी) – सदस्य
5. श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद – सदस्य
6. श्री मूलचन्द, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बागपत – सदस्य
7. श्री रवीन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम, बागपत – सदस्य सचिव

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी0पी0आर0 विरचन कार्य:–

श्री रवीन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1197/ छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27 एवं 07 कुल 108 ग्रामों में पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। इन्हे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक–07.06.2021, दिनांक–09.07.2021, दिनांक–23.07.2021, दिनांक–31.07.2021, दिनांक–27.08.2021, दिनांक–12.10.2021 एवं दिनांक–22.10.2021 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किया गया हैं।

शासनादेश सं0–51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019, दिनांक–06.08.2021 के अनुसार रू0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में फर्म द्वारा 01 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बागपत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। जिनका खण्ड स्तर पर परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त मात्र 01 नग डी0पी0आर0 ही मानकानुसार पायी गयी जिनको सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति हेतु खण्ड स्तर से प्रेषित कर दिया गया है। (इनकी लागत रू0 5.00 करोड से कम है)। जांच एवं सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त इनको जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के उपस्थित प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये निर्धारित तिथि 15.11.2021 तक अवशेष बची समस्त डी0पी0आर0 का विरचन कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा जिन योजनाओं के कवर अनुबंध निपष्पादित कर लिये गये है उन पर सॉयल टैस्टिंग कराकर, उनकी ड्राइंग सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराया जाये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त विषयक सदस्य सचिव को धीमी प्रगति पर फर्म को चेतावनी पत्र भी जारी कराने के निर्देश दिये गये।

(iii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट के निष्पादन की प्रगति की प्रगति:–

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉसिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु निम्न योजनाओं हेतु कवर एग्रीमेन्ट राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित कर दिया गया है। जिसके अनुसार इन पर कार्य प्रारम्भ तिथि 18.11.2021 प्रदान की गयी है:–

Sl. No.	Gram Panchayat	Tripartite Agreement No.	Gram Panchayat Scheme Approved Cost including 2% contingency & Excluding GST 12% (In Lakh)	O&M Cost for 10 Years Including 2% Contingency & Excluding GST 12% (In Lakh)
1	AHAMADNAGAR	35/DWSM/2021-22	169.11	42.54
2	AHERA	28/DWSM/2021-22	226.98	57.20
3	BARSIYA	33/DWSM/2021-22	165.22	41.56
4	BODHA	12/DWSM/2021-22	298.09	74.99
5	CHOULHADA	04/DWSM/2021-22	178.06	44.79
6	DARKAVDA	16/DWSM/2021-22	262.56	66.05
7	DHANORA SILVARNAGAR	06/DWSM/2021-22	459.81	115.67
8	FIROZPUR	20/DWSM/2021-22	175.36	44.11
9	GARHI KALANJARI	19/DWSM/2021-22	286.31	72.02
10	GORIPUR JAWAHARNAGAR	02/DWSM/2021-22	317.46	79.86
11	GOTRA	22/DWSM/2021-22	263.99	66.41
12	GUANA	26/DWSM/2021-22	275.25	69.24
13	HAMIDABAD Urf Nyagao	01/DWSM/2021-22	208.69	52.50
14	HASANPUR MASOORI	27/DWSM/2021-22	182.81	45.99
15	KHARKA	31/DWSM/2021-22	159.6	40.15
16	KHEDAKI	29/DWSM/2021-22	218.79	55.04
17	LALYANA	21/DWSM/2021-22	208.48	52.44
18	MALMAZRA	15/DWSM/2021-22	170.85	42.98
19	MUBARIKPUR	18/DWSM/2021-22	215.77	54.28
20	NANTHALA	03/DWSM/2021-22	201.81	50.77
21	PALRA	13/DWSM/2021-22	196.13	49.62
22	POORNPUR NAVADA	24/DWSM/2021-22	192.5	48.43
23	RAJPUR KHAMPUR	09/DWSM/2021-22	226.83	57.06
24	SANKROD	34/DWSM/2021-22	306.8	77.18
25	SHAFABAD	17/DWSM/2021-22	176.12	44.31

26	SHAHJAHANPUR	14/DWSM/2021-22	178.2	44.83
27	SHIKOHPUR	10/DWSM/2021-22	267.16	67.21
28	SINGHOLI TAGA	23/DWSM/2021-22	181.45	45.65
29	SISANA	11/DWSM/2021-22	337.17	84.82
30	TILPANI	32/DWSM/2021-22	229	57.61
31	BUDHEDA	05/DWSM/2021-22	263.77	66.36
32	GWALI KHERA	08/DWSM/2021-22	168.3	42.34
33	HARCHANDPUR	25/DWSM/2021-22	173.88	43.74
34	LADWARI	07/DWSM/2021-22	183.51	46.16
35	MUKARI	30/DWSM/2021-22	246.19	61.93

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त योजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही यथा सॉयल टैस्टिंग, डिजाइन/ड्राइंग की सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ कराया जाये।

(iii) भूमि उपलब्धता:-

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। श्री रविन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 07 ग्रामों में अद्यतन भूमि उपलब्ध नही हो पायी है। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत नवीन पाईप पेयजल योजनाओं हेतु चयनित ग्राम जिनमें भूमि उपलब्ध नही हैं	पूर्व बैठक में भूमि की स्थिति	वर्तमान में भूमि की स्थिति
1	खेकडा	नंगला बहलोलपुर	भूमि उपलब्ध नही हैं।	नंगला बहलोलपुर ग्राम अस्तित्व में नही है। उक्त हेतु भूमि ग्राम काठा में उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि का प्रस्ताव प्राप्त कर एवं एन0एच0ए0आई0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये।
2	खेकडा	फखरपुर मौहम्मदशाहपुर	लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम से 1.50 कि0मी0 दूर भूमि उपलब्ध है परन्तु रास्ता उपलब्ध नही हैं।	चिन्हित भूमि के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नही है। उक्त हेतु रास्ता उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, खेकडा को निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक रास्ता उपलबध नही कराया गया है।
3	खेकडा	तिगरी	लेखपाल द्वार अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु रास्ता नहीं है इस लिए हमने प्रधान जी से संपर्क किया है और वे जाँच करके बतायेगे	चिन्हित भूमि के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नही है। उक्त हेतु रास्ता उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, खेकडा को निर्देशित किया गया था परन्तु अभी तक रास्ता उपलबध नही कराया गया है।

4	पिलाना	गौसपुर	कोर्ट केस होने के कारण लेखपाल द्वारा भूमि का प्रस्ताव निश्चित नही किया गया हैं।	भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, बागपत को निर्देशित किया गया। जोकि अभी तक प्राप्त हैं।
5	बडौत	करीमपुर	लेखपाल द्वार अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु 250 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है जो मानक अनुसार पर्याप्त नही है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नही कराया गया हैं।
6	छपरौली	सूप राजपुर	लेखपाल द्वार अवगत कराया गया की भूमि उपलब्ध है परन्तु 300 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है जो मानक अनुसार पर्याप्त नही है।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नही कराया गया हैं।
7	छपरौली	तिलवाडा	भूमि उपलब्ध नही हैं।	लेखपाल से सम्पर्क कर मानकानुसार भूमि चिन्हित कराने के निर्देश दिये गये थे लेखपाल द्वारा अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नही कराया गया हैं।

इस प्रकार उपरोक्तवत् 7 ग्रामों के जलकल परिसरों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जानी शेष है। उक्त ग्रामों में प्राथमिकता पर भूमि की व्यवस्था कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित को निर्देशित किया गया।

(iv) नामित सपोर्ट एजेसियाँ की गतिविधियां:–

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमांमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक–702/W-314(Vol-3)/2021-22 दिनांक–08.07.2021 के द्वारा सूचना विभाग की अनुमोदित दरों की सीमा के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सार्वजनिक स्थानों पर 6X2 आकार के पेयजल कार्यो के विभिन्न आयामों व पेयजल कार्यो के कुशल संचालन से सम्बंधित Slogan Wall Writing तथा Cultural Activity/Nukkad Natak के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आम–जन मानस को जागरूक करना, लोगों से संवाद करना, ग्राम सभा की खुली बैठक कराना, लोगो को पेयजल एवं स्वच्छता के महत्व को समझाने इत्यादि के कार्य इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) के माध्यम से प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा VWSC/VAP हेतु वांछित कार्यवाही तत्परता से करने हेतु भी कड़े निर्देश दिये गयें।

(V) प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त विकास खण्डो हेतु समस्त ग्राम पंचायत/क्षेत्रो की जल गुणवत्ता जांच एवं मॉनिटिरिंग हेतु WQMIS पोर्टल पर पंजिकृत करने के लिए प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यों (एस0एच0जी0/आशा/ए0एन0एम0/आंगनबाडी) को नामित किये जाने के सम्बंध में:–

समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है एवं आपसे प्रत्येक ग्राम में 05 महिलाओं का चयन ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं सचिवों के माध्यम से तत्काल कराने की अपेक्षा की गयी है। इन पांच महिलाओं में स्वयं सहायता समूहो की सदस्य, आशा, ए.एन.एम. आंगनबाडी कार्यकत्री, अध्यापिका तथा 03 अन्य कार्यकर्ता (ग्राम प्रधान, VWSC सदस्य, प्राइमरी अथवा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, विज्ञान छात्रों में से कोई 03 सदस्य) सम्मिलित होगे। इन आठ सक्रिय सदस्यों की ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर इस खण्ड को भी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था। अद्यतन मात्र खण्ड विकास अधिकारी, खेकडा द्वारा 35 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड–बडौत द्वारा 38 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड–बागपत द्वारा 44 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड–बिनौली द्वारा 38 ग्राम पंचायतों, विकास खण्ड–छपरौली द्वारा 21 ग्राम पंचायतो एवं विकास खण्ड पिलाना द्वारा 41 ग्राम पंचायतों के सदस्य नामित कर सूची उ0प्र0 जल निगम, बागपत को उपलब्ध करायी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, बागपत/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि कैमीकल युक्त FTK तथा H2S Vials की आपूर्ति उ0प्र0 जल निगम के बागपत कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिन्हे इस कार्यालय के पत्रांक–3447/प्रति–3/183, दिनांक–13.09.2021 द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया हैं।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से FTK के उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी जारी नही हुआ हैं। उक्त FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि (6 माह, जिसमें एक माह समाप्त हो चुका है) समाप्त होने से पूर्व इनका उपयोग किया जाना है। समस्त खण्ड विकास अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि FTK के उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु खण्ड विकास कार्यालय के किसी कार्मिक को वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर दिनांक–13.10.2021 को प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं। **आई0एस0ए0 के सहयोग से इस खण्ड द्वारा FTK उपयोगकर्ताओं को विकास खण्ड–छपरौली में दिनांक–17.11.2021, विकास खण्ड बागपत में दिनांक–18.11.2021 एवं विकास खण्ड छपरौली मे दिनांक–26.11.2021 में कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया है।** शेष बचे विकास खण्ड खेकडा, पिलाना एवं बडौत में भी शीघ्र ही उक्तानुसार कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। FTK के चयनित उपयोगकर्ताओं को वांछितानुसार प्रशिक्षित कर FTK तथा H2S Vials का वैधता तिथि समाप्त से पूर्व उपयोग कर शासन की योजना का कियान्वयन वांछितानुसार कराया जाना हैं। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को तदानुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(vi) एफ0एच0टी0सी0 फीडिंगः–

जनपदान्तर्गत अद्यतन एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने पर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया एवं लक्ष्यानुरूप एफ0एच0टी0सी0 की फीडिग प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ0सं0 4348 / वि0-3 / 362 दिनांक 27-11-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम कम्पाउण्ड, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
7. जिलाधिकारी, बागपत।
8. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
10. जिला वनाधिकारी, बागपत।
11. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
15. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
17. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा।
18. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
19. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद।
20. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द्र, एनटीपीसी गेट–1, बीआईडब्लू कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली–110044,
21. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभको भवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गोतमबुद्धनगर।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

JJM